

बिहार : अविकास का चक्रव्यूह (1990 से 2005)

रूपेश कुमार

शोधार्थी

विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)-842001

डॉ० संजय कुमार

शोध निदेशक

विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
(बिहार)-842001

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted : 01 Sep 2022

Published : 15 Sep 2022

Publication Issue :

Volume 9, Issue 5

September-October-2022

Page Number :

730-737

इतिहासकार मानते हैं कि आधुनिक बिहार राज्य को भौगोलिक सीमा रेखा और "बिहार" का नाम मध्यकाल में प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक के बिहार के किसी क्रमबद्ध और संगठित ऐतिहासिक अभिलेख और तथ्य का अभाव रहा है, परन्तु उत्तर बिहार में 'विदेह' तथा दक्षिण बिहार में 'मगध' का उल्लेख महाभारत में कई बार आया है। तिरहुत (मिथिलाचल) में राजा जनक (विदेह) के नैतिक-आध्यात्मिक शक्ति के शासन और मगध में जरासंध के रूप में एक शक्तिशाली शासक का जिक्र महाकाव्यों में देखा जा सकता है। जरासंध का उत्कर्ष काल कौरव-पाण्डव के महायुद्ध के करीब ही व्याख्या की गई है। परन्तु इतिहासकारों ने 'लिच्छवियों' और 'विदेह' की चर्चा की है। "तिराभुक्ति" के रूप में तिरहुत की चर्चा की गई है। राजकुमार अंग, जो बाली के पुत्र थे जिसकी माता का नाम सुदक्षणा था, की चर्चा प्राचीन इतिहास में मिलता है। उन्होंने ही "अंग साम्राज्य" की नींव डाली थी। अंग साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सरयु नदी और गंगा नदी के बीच फैली थी। रामायण काल में चर्चित 'राजा लामपदा' का साम्राज्य यहीं था। मालिनी या चम्पा इसकी राजधानी थी जो भागलपुर और मुंगेर के बीच अवस्थित था। मत्स्यपुराण में 'चम्पा' को महान राजा लामपदा का पुत्र बतलाया गया है। वैदिक काल से पहले लम्बे समय तक पूर्व वैदिक सभ्यता का केन्द्र चम्पा ही था। इस क्षेत्र को पूर्व वैदिक काल में "अन्न भंडार" (grainary of foodgrains) के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी और कृषि इस क्षेत्र की विशेषता थी। महाभारत काल में इसे ही कर्णगढ़ के रूप में बतलाया गया है।

परन्तु वास्तविकता यही है कि बिहार के क्रमबद्ध इतिहास की रूपरेखा बौद्ध साहित्य से प्रमाणिक रूप में प्राप्त होता है। ईसा पूर्व छठी सदी में उत्तर भारत में 16 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिनमें अंग प्रदेश और मगध दो महान् दक्षिण बिहार के राज्यों तथा वैशाली राज्य का उल्लेख मिलता है। उत्तर बिहार में अवस्थित प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्य था। “वैशाली” को इतिहासकारों ने महान् जनतांत्रिक और परिसंघात्म राज्य (confederation) कहकर सम्बोधित किया है। इस दृष्टि से माना जा सकता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct Democracy) तथा संघीय व्यवस्था (federal system) की विचारधारा का व्यवहार में सर्वप्रथम प्रयोग स्थल बिहार ही रहा है। मगध के दो शासक गौतम बुद्ध के समकालीन थे—अजातशत्रु और बिम्बिसार। बिम्बिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और मगध साम्राज्य की नींव डाली। उनके पुत्र अजातशत्रु ने भी पिता की तरह कौशल और वैशाली को जीतकर साम्राज्य की स्थापना के अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने ही सोन, गंडक और गंगा के मिलन—बिन्दु पर सैन्य छावनी की स्थापना की थी और इस स्थान को पाटली का नाम दिया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से ‘पाटलीपुत्र’ स्थापित कर लिया। इनके उत्तराधिकारियों को महापदनन्द के काल में मगध साम्राज्य पूरब में पंजाब से लेकर सम्पूर्ण उत्तर भारत तक फैला था और पाटलीपुत्र इसकी राजधानी थी।

ईसा पूर्व 324 में नन्द वंश के शासन को चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने आधिपत्य में ले लिया। साम्राज्य को विस्तार देने की चन्द्रगुप्त मौर्य की अभिलाषाओं ने बिहार को भरत के शासन का केन्द्र बना दिया। इसकी पूर्ण परिणति ईसा पूर्व 261 में हुई जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह विजय ही मौर्य साम्राज्य के अंत का प्रारंभ बना और बौद्ध धर्म का प्रचार—प्रसार बिहार के इतिहास का केन्द्र बिन्दु बन गया। ईसा पूर्व 185 में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हुई और इसी से बिहार के स्वर्णिम युग का अंत हो गया और यहाँ से बिहार के इतिहास में अंधकार के युग (darkage) का प्रारंभ हो गया। परन्तु शीघ्र ही चौथी सदी के मध्याह्न में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। 320 ई० में चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलीपुत्र के सिंहासन पर अपने को महाराजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित किया। महान् गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार में ही पैदा हुए और प्रसिद्ध संत ‘फाहियान’ ने इसी काल में पाटलीपुत्र की यात्रा की थी। परन्तु गुप्त काल में ही इस क्षेत्र का पतन प्रारंभ हो गया था और आगे चलकर बिहार के मिहिरगुला और शशांक जैसे शासकों का आक्रमण झेलना पड़ा। बुद्ध के विहारों को इन्हीं आक्रमणों से अपार क्षति उठानी पड़ी। उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसी काल में बिहार के कुछ भाग पर हर्षवर्द्धन के शासन की स्थापना हुई जो कन्नौज का शासक था। इनकी मृत्यु के उपरान्त बंगाल के शासक पाल वंशजों का शासन बिहार पर भी हो गया। इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार—प्रसार को बल मिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ। विजय सेन ने 12वीं सदी में पाल वंश के शासन का अंत कर दिया। 1140—1179 तक सेन वंश ने दक्षिण और उत्तर बिहार पर अपने शासन की स्थापना की। बिहार की गौरवशाली प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से प्रमाणित होता है कि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ के अतिरिक्त योग और वेदांत के दर्शन की परम्परा और पद्धति का जन्म—स्थल बिहार ही था। यह अनेकों चक्रवर्ती सम्राटों—राजा जनक (विदेह), चन्द्रगुप्त, अशोक, अजातशत्रु, बिम्बिसार की कर्मभूमि और चाणक्य (कौटिल्य), मंडन मिश्र, भारती, बराहमिहिर जैसे ज्ञानियों की ज्ञान भूमि रही। नालंदा और विक्रमशिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के द्वारा विश्व को शिक्षा का दान

बिहार से ही मिला। ह्येनसांग ने पाँच वर्षों तक नालंदा में शिक्षा प्राप्त की और चीन, कोरिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान, जापान, मंगोलिया के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केन्द्र बना रहा।

इसलिए बिहार को इतिहास के कालखण्ड में एक गौरवमय अतीत प्राप्त रहा है। वैदिक काल से बिहार के इतिहास के पदचिह्न प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। वेदों और पुराणों में बिहार के उद्धरण मिलते हैं। रामायण और महाभारत के केन्द्र में भौगोलिक क्षेत्र बिहार ही रहा है—जनक की नगरी अयोध्या, जरासंध की नगरी नालंदा, विक्रमशिला, श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित 'सिंहेश्वर महादेव' सभी का संबंध बिहार से रहा है। कहा जाता है कि राजा रामचन्द्र ने बक्सर के समीप गुरुकुल में महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। भारत के 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध महाजनपद ही था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की रोशनी बिहार में ही मिली और महावीर के 24 तीर्थंकरों की कर्मभूमि भी यहीं थी। बाद में नन्द वंश के शासन की स्थापना हुई। वैशाली और मिथिला बिहार के ही गणराज्य थे। पाटलीपुत्र के किले के निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था।

यदि बिहार के अवनति के प्राचीन इतिहास को देखा जाय तो 11वीं सदी से लेकर मध्य 18वीं सदी तक गुलाम, लोदी और मुगलों का शासन बिहार पर रहा। 1765 के अंतिम और निर्णायक युद्ध के उपरान्त बिहार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना प्रारंभ हुआ। फिर बिहार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी रहा। आदिवासियों ने अंग्रेजों को पर्वतीय—तराई क्षेत्र में कभी भी स्थिर शासन स्थापित करने नहीं दिया। कोल विद्रोह, हो विद्रोह, चम्पारण विद्रोहों से अंग्रेजों को जूझते रहना पड़ा। जगदीशपुर रियासत के बाबू कुँवर सिंह और अमर सिंह ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहुति देने वालों में बिहार का योगदान किसी भी प्रांत की तुलना में अधिक अनुकरणीय है। वर्तमान बिहार की नींव 1911 के 12 दिसम्बर को ही डाल दी गयी थी जबकि इसी दिन दिल्ली के शहरी दरवार में ब्रिटिश सम्राट द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग बिहार प्रांत के निर्माण किये जाने की घोषणा की गयी। इस घोषणा को अमल में लाया गया और 1 अप्रैल, 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत् उद्घाटन किया गया। बिहार नाम से एक नए प्रांत की स्थापना हो गयी। पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस समय भी बिहार की सीमा रेखा में मामूली परिवर्तन किया गया। इसे प्रशासनिक दृष्टि से चार प्रमण्डल एवं सत्रह जिलों में विभाजित किया गया।

मध्य 12वीं सदी तक तो बिहार की प्राचीन परम्परा कायम रह पायी, परन्तु 1200 ई0 में मो0 बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसके गौरव को आघात लगा। मुगल काल और ब्रिटिश काल बिहार के प्राचीन गौरवमय अतीत को विकृत और विनष्ट करने वाला ही साबित हुआ। आधुनिक बिहार जब यह बंगाल से विभाजित होकर 1911 में एक प्रांत के रूप में स्थापित हुआ, तो अंग्रेजी शासन के शोषण का शिकार बना रहा। अंग्रेजों ने बिहार की कृषि और कुटीर उद्योग दोनों को अपने शोषण का शिकार बनाया। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार से ही प्रारंभ किया जो चम्पारण के किसानों के समर्थन में था और चम्पारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया।

अविभाजित बिहार

प्रशासनिक दृष्टि से बिहार के प्रशासन 17 जिलों में बंटा था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा। 1991 में इसकी कुल आबादी 8.63 करोड़ थी जो भारत की कुल आबादी का 10.21 प्रतिशत है। बिहार ग्रामीण आबादी की बहुलता का प्रांत है जहाँ ग्रामीण आबादी 7.50 करोड़

है जो कुल आबादी का 86 प्रतिशत है। यह भारत की ग्रामीण आबादी 74 प्रतिशत से काफी अधिक है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता प्रमुख रूप से ग्रामीण है और आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर है। बिहार की जनसंख्या मिश्रित प्रकृति की रही है। इसमें पिछड़ी जातियाँ 24.77 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 23.96 प्रतिशत, उच्च जाति 23.25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियाँ 14.74 प्रतिशत, मुस्लिम 8.42 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ी जातियाँ 4.77 प्रतिशत रही हैं। धर्म के आधार पर हिन्दू जनसंख्या 91.58 प्रतिशत रही है। यह प्रतिशत बिहार में राजनीति के जातीय आधार का कारण बना रहा है, विशेष रूप से तब जबकि आजादी के 50 वर्षों के उपरान्त भी बिहार में साक्षरता की दर 34.48 प्रतिशत तक सीमित रही है। इसमें भी अनुसूचित जनजातियाँ, जिसकी संख्या बिहार में 66.16 लाख रही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसुविधायें रोजगार और सम्पूर्ण रूप से विकास के अन्य मानकों में काफी पिछड़ी हुई थीं।

बिहार के विभाजन के पूर्व की सामाजिक आर्थिक स्थिति स्पष्ट करता है कि बिहार को भारत में वैसे राज्यों के बीच प्रथम स्थान था जहाँ 70 से 75 प्रतिशत आबादी भूमिहीन थे या गरीब किसान की श्रेणी में आते थे। इसमें भी 65 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजातियों की थी। 1994 में बिहार का विकास दर मात्र एक प्रतिशत था, जबकि आठवीं योजना के पत्र में योजना आयोग ने कहा था कि यदि "आगे से बिहार का विकास दर 6.3 प्रतिशत हो तो बिहार आगामी 50 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर तक पहुँच सकता है।" परन्तु विकास के मद के दुरुपयोग की स्थिति में विकास दर की वृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चतुरानन्द मिश्र अपने लेख में लिखते हैं कि बिहार सरकार ने सिविल एकाउन्ट्स का एक खाता खोल रखा था जिसमें जरूरी से जरूरी विकास मद के आवंटित धन जमा कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि से विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए अर्थात् कृषि विकास, कोऑपरेटिव के विस्तार के लिए प्राप्त धन भी इसी एकाउन्ट में जमा कर रोजमर्रा के सरकारी खर्च चलाये जाते थे। बिहार सरकार 1993-1995 में केन्द्रीय आवंटन के 303 करोड़ में केवल 125 करोड़ खर्च कर पायी, उसमें भी 116 करोड़ वेतन मद में खर्च हुए।

परिणाम स्पष्ट है कि बिहार आधारभूत संरचना के विकास में काफी पिछड़ गया। बिजली की आवश्यकताओं का एक-चौथाई भाग भी बिहार उत्पादित नहीं कर पाता है। जो कुछ उत्पादन होता भी है उसका 35 प्रतिशत विनष्ट हो जाता है। अर्थात् विद्युत रख-रखाव की खामियों के कारण उत्पादित विद्युत क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे प्रांत में कृषि की उन्नति और उद्योगों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उद्योगों की दृष्टि से इसलिए बिहार की गिनती 'बीमारू' प्रांतों में होने लगी थी। जो उद्योग थे वे भी कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण उद्योगपति बिहार छोड़ने को बाध्य हो गए।

डॉ० सच्चिदानन्द ने 1987 के अपने लेख में बिहार को असमानता, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा और दयनीय अवस्था वाले राज्य के रूप में चित्रित किया। उनके अनुसार बिहार में 80 प्रतिशत लोग गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं जबकि मुट्ठी भर लोगों का जीवन ऐशो-आराम में व्यतीत होता है। यहाँ शहरीकरण की गति धीमी रही—केवल 13.4 प्रतिशत, साक्षरता 1997 में 38.5 प्रतिशत और स्त्रियों की शिक्षा का स्तर और भी नीचे केवल 22.8 प्रतिशत था जो सम्पूर्ण देश की तुलना में न्यूनतम था।

यह स्थिति उस बिहार की थी जहाँ 2 अप्रैल, 1946 ई० डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और 24 वर्षों तक जनवरी 1961 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इसी काल में बोकारो स्टील प्लान्ट,

सिन्दरी के खाद का कारखाना, बरौनी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई। बिहार देश का पहला प्रांत था जहाँ जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1961 में डॉ० बिनोदानन्द झा और 1963 में श्री कृष्णवल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1967 में बिहार में कांग्रेस की पराजय हुई। 1967 में बिहार में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जिसमें कांग्रेस के अतिरिक्त सभी दल शामिल हो गए। महामाया प्रसाद सिन्हा इस सरकार के मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर उप-मुख्यमंत्री। डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने इस हार को “कांग्रेस शासन के एकाधिकार के विरुद्ध जबर्दस्त प्रतिक्रिया के रूप में” स्वीकार किया है। महामाया बाबू की पदच्युति के उपरान्त बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल मुख्यमंत्री बने और फिर भोला पासवान शास्त्री राज्य के मुख्यमंत्री बने। परन्तु जून 1967 में श्री शास्त्री को त्याग-पत्र देना पड़ा। 29 जून, 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। कहा जा सकता है कि 1967 से ही बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के युग का श्रीगणेश हो गया था। राज्यपाल के एक परामर्शदाता ने 3 फरवरी, 1969 को कहा था कि सामान्य नागरिक और ग्रामीण मतदाता स्थायी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों की योग्यता और सामर्थ्य में संदेह करने लगे हैं। मतदान के प्रति उनकी उत्सुकता में इसलिए कमी आयी है। फलतः राष्ट्रपति शासन को छः महीने और बढ़ाये जाने की स्वीकृति दे दी गयी। 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को 317 में 118 स्थान प्राप्त हुए। समाजवादी दल को 52, जनसंघ को 34 तथा कम्युनिस्टों को 25 विधानसभा सदस्यता प्राप्त हुई। निर्दलीय सदस्यों को 24 स्थान प्राप्त हो गए। भोला पासवान शास्त्री संयुक्त मोर्चा सरकार (1969) के मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों के लिए हरिहर सिंह और फिर 1970 में कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण कर्पूरी जी चर्चा में रहे। फलतः उन्हें बिहार की राजनीति में एक ठोस जनाधार प्राप्त हुआ।

परन्तु बिहार की बदहाली को 1990 के दशक से नहीं बल्कि 1980 के दशक से या 1974 के सम्पूर्ण क्रांति के संदर्भ में जोड़कर देखा जाना चाहिए। वैसे तो अराजकता की कहानी की जड़ें बिहार में भूमि सुधार की असफलता से जुड़ी हुई है जहाँ से सुदूर क्षेत्रों में सामाजिक तनाव, संघर्ष और आतंकी वारदातें प्रारंभ हुई, जिसने पुलिस और प्रशासन को चुनौती देना प्रारंभ किया। बिहार का सच यही है कि यहाँ के 70 से 75 प्रतिशत लोग गरीब किसानों की श्रेणी में आते हैं, जो या तो भूमिहीन हैं या सीमान्त किसान। इनमें से 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं।

कृष्णवल्लभ सहाय के कार्यकाल 1961 में भूमि सुधार के लिए “हदबंदी और अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण अधिनियम” जिसे लैन्ड सिलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, पारित हुआ। आज सभी इस तथ्य को निःसंकोच स्वीकार करते हैं कि भूमि सुधार अधिनियम को दृढ़ता से लागू किये जाने की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के अनेक दुष्परिणाम सामने आये हैं। सामाजिक तनाव के एक महत्वपूर्ण कारण में तो इसे दर्शाया ही जाता है। कृषि उत्पादकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिहार के मजदूरों के दूसरे प्रांतों में पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने में सरकार की असफलता भी है।

बिहार के विभाजन की पृष्ठभूमि

बिहार की आर्थिक बदहाली की इस पृष्ठभूमि में झारखण्ड के पृथक्तावादी आंदोलन को “आर्थिक समस्याओं का राजनीतिक विस्फोट” की संज्ञा दी गयी है और इसे आदिवासियों के शोषण का स्वाभाविक परिणाम²¹ बतलाया गया। यद्यपि जसपाल सिंह के नेतृत्व में 1939 से ही छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने छोटानागपुर को अलग प्रांत बनाने की

मांग प्रारंभ की थी। 1946 के निर्वाचन में भी अलग प्रांत का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना। परन्तु जसपाल सिंह खूटी से 1946 का चुनाव हार गये। प्रारंभ में झारखण्ड पार्टी के नेतृत्व में पृथकतावादी आंदोलन को गति देने की कोशिश की गयी परन्तु 1963 ई० में कांग्रेस में झारखण्ड पार्टी के विलय से इस आंदोलन को झटका लगा। 1964 में अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी बनी। एन०ई० होरो इसके सचिव बने। परन्तु 1971 में यह पार्टी दो गुटों में विभक्त हो गयी। 1972 में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा नाम का एक लड़ाकू संगठन तैयार हुआ और शिबू सोरेन इसके संस्थापक सचिव बनाये गए। 1973-74 में जमीन्दारों के विरुद्ध इसने बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। 1978 में बिरसा सेवा दल बना, परन्तु 1978 में ही छः राजनीतिक दलों का एक संयुक्त मोर्चा के निर्माण का निर्णय हुआ। इसका नाम “झारखण्ड अलग राज्य संयुक्त मोर्चा” रखा गया। अंततः झारखण्ड राज्य की पृथकता के लिए एकजुटता और ताकत प्राप्त हो गयी।

इस आंदोलन के पीछे आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। छोटानागपुर संधाल परगना का क्षेत्र ही “बिहार की रीढ़” बना हुआ था। बिहार की समस्त खनिज सम्पदा बहुमूल्य कोयले का अतुल भंडार और गुणात्मक दृष्टि से सर्वोत्तम कोटि का कोयला इसी क्षेत्र में वर्तमान है। पहाड़ियाँ बहुमूल्य ‘चिप्स’ के लिए प्रसिद्ध रही और जंगली क्षेत्र वन सम्पदा से परिपूर्ण थे। परन्तु बिहार की आदिवासी जनसंख्या का 93 प्रतिशत इसी क्षेत्र में निवास करती है जो वर्तमान झारखण्ड का 27 प्रतिशत है। परन्तु यह जनजातीय आबादी प्रारंभ से ही शोषित और पिछड़ी रही।

फलतः बिहार से पृथक जनजातीय प्रांत के रूप में पृथक झारखण्ड राज्य की मांग जोर पकड़ता गया। अंततः 2000 में बिहार विभाजन हो गया। बिहार के कई महत्वपूर्ण नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी इस विभाजन के विरुद्ध थे। पटना में 13 सितम्बर को “विभाजित बिहार की चुनौतियाँ” विषय पर ए०एन० सिन्हा इन्स्टीच्यूट के तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में बिहार के विभाजन को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया गया और बिहारवासियों से इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किये जाने की अपील की गयी।

विभाजन के उपरान्त बिहार

‘पृथक झारखण्ड की मांग’ और झारखण्ड आंदोलन को अंततः सफलता मिली। राजनीतिक दलों की स्वार्थी प्रवृत्तियों की जीत हुई और अंततः 2000 ई० में बिहार का विभाजन हो गया। झारखण्ड राज्य अपने अस्तित्व में आ गया। अविभाजित बिहार में 55 जिले थे। इसमें से 18 जिलों से झारखण्ड का निर्माण हुआ। बिहार में अब 37 जिले शेष रह गए। इसमें 22 उत्तर बिहार के और 15 मध्य बिहार के जिले हैं। मध्य बिहार के ये 15 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं अथवा ये सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। विभाजित बिहार में नौ लाख हेक्टेयर भू-भाग पानी से भरे रहने वाले क्षेत्र हैं। इनमें से आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र उत्तर बिहार के भू-भाग हैं। बिहार के पास केवल एक संसाधन शेष है—उपजाऊ जमीन, परन्तु भूमि या तो जलप्लावित है या सूखे की चपेट में। राज्य में कृषि का रूप अब भी पारम्परिक बना हुआ है। सिंचाई सुविधाओं का घोर अभाव है। झारखण्ड के विभाजन के उपरान्त बिहार की कुल सिंचित भूमि लगभग 28221 लाख हेक्टेयर में से इसके पास केवल 26441 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि बच जाता है। इसमें भी केवल 16-17 लाख हेक्टेयर भूमि को ही विभिन्न कारणों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। फलतः बिहार के समक्ष सोन, गंडक, कोसी परियोजनाओं को सिंचाई के अनुरूप आधुनिकृत किये जाने की है।

विभाजित बिहार की चुनौती ऊर्जा के अभाव की भी है। राज्य की कुल उत्पादित ऊर्जा क्षमता 1779 मेगावाट की है जिसमें से 1220 मेगावाट झारखण्ड के हिस्से में है, केवल 559 मेगावाट बिहार के पास रह जाता है जिसमें उत्पादन केवल 100 मेगावाट ही हो पाता है।

बिहार की चुनौतियाँ बंद पड़ी 18 चीनी मिलों की है, जिसको चालू किये जाने के लिए 600 करोड़ रुपये की जरूरत है। बरौनी का खाद कारखाना जो वर्षों से बीमार अवस्था में है, उसके आधुनिकीकरण की चुनौती है। भागलपुर के सिल्क उद्योग, फतुहा स्कूटर फैक्टरी, जमालपुर रेल कारखाना और मुंगेर की बन्दूक फैक्टरी को फिर से पटरी पर लाये जाने की जरूरत है। बिहार के विभाजन के उपरान्त सारे उद्योग झारखण्ड के हिस्से में आ गए हैं। बिहार के 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर0आई0टी0 जमशेदपुर तथा बी0आई0टी0 सिन्दरी अब झारखण्ड में हैं जिसमें नामांकन के लिए 640 स्थान थे जबकि बिहार में बचे हुए तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल 540 स्थान हैं। बिहार की कुल रेवेन्यू आमदनी 3114 करोड़ की थी जिसमें से 1132 करोड़ झारखण्ड के हिस्से में चला गया है।

बिहार की चुनौतियाँ इसके साथ लम्बे समय से केन्द्र के द्वारा की गयी उपेक्षा से भी जुड़ी है। “हम मांगते हैं तो मिलता नहीं लेकिन समृद्ध राज्यों को बिना मांगे ही मिल जाता है। बिहार विकास के मानक पर बॉटम स्टेट में गिना जाता है, परन्तु बिहार विकास के लिए दिल्ली की ओर देखता रहता है। कामनवेल्थ गेम के लिए दिल्ली को मिल जाता है लेकिन बिहार को बाढ़ की विपदा ने निबटने और अपने नागरिकों की जानमाल की हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं मिलता। श्रीलंका के तमिल विस्थापितों और बंगाल में आइला के लिए मिल जाता है, बिहार वंचित रह जाता है।” अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता का मानना है कि देश के प्रमुख राष्ट्रीयताओं को तो केन्द्र के द्वारा तरजीह दी जाती है, इसके विपरीत बिहारी राष्ट्रीयता को नजरअंदाज करने की दिल्ली की प्रवृत्ति रही है।

यही कारण है कि बिहार की 58 प्रतिशत महिलायें कुपोषण का शिकार होकर एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका कारण है—खाद्यान्न संकट। पोषण और सुभोजन पर राज्य में प्रति व्यक्ति 36 रुपये खर्च होते हैं। भारत सरकार के एक प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि बिहार में अपर्याप्त भोजन वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2004–2005 में 2.7 प्रतिशत थी। बिहार को अनाज का पर्याप्त आवंटन केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। यही स्थिति सड़क की है। प्रति व्यक्ति स्टेट हाई वे पर दिल्ली में 1477.12 रुपये खर्च होते हैं जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति स्टेट हाई वे पर केवल 1.87 रुपये खर्च होते हैं। प्रति व्यक्ति योजना व्यय और गैर योजना व्यय में बिहार देश में सबसे नीचे है। हाल के रेल बजट में भी बिहार उपेक्षित रहा और आम बजट से भी बिहार की आशाओं की पूर्ति नहीं हो पायी। बिहार आज भी बाढ़ की विभीषिका और सूखे की तपिस के लिए सबसे सरल क्षेत्र है। जल क्षेत्र के रूप में विख्यात बिहार जल प्रबंधन के अभाव में वरदान के अभिशाप से पीड़ित है।

बिहार पूरे देश के राज्यों में पाँचवें नम्बर पर था। उस समय बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से न केवल एक सशक्त एवं स्थिर राज्य था, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी स्थान रखता था। सिंचाई, ऊर्जा एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसकी आधारभूत संरचना संतोषप्रद थी। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि प्रति वर्ष विकास दर 3.97 फीसदी थी जो भारत के 3.30 फीसदी की तुलना में अधिक थी। आज स्थिति यह है कि बिहार अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में अपनी गंभीर पहचान बनाने के लिए मजबूर हो चुका है।

अगर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों की खोज की जाए तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरता है कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का, इसके विकास की परिकल्पना नीति निर्धारकों द्वारा सही रूप में साकार नहीं किया जा सकता। अगर हम कृषि विकास की स्थिति की विवेचना करें तो यह पायेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान और कृषि आधारित राज्य होने के बावजूद भी यहाँ 1969-70 से 1983-84 के मध्य कृषि की प्रति वर्ष विकास दर मात्र 0.83 प्रतिशत रही। देश में जहाँ हरित क्रांति की सफलता की चर्चा होती रही वहीं बिहार राज्य में कृषि की नई तकनीक का प्रभाव साधारण जैसा ही रहा।

उपरोक्त जिज्ञासओं के आधार पर अन्वेषण करने के पश्चात् ही हम ग्रामीण विकास की दशा और दिशा पर प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि ग्रामीण विकास की दिशा में शोध नहीं हुए हैं, परन्तु जो भी शोध हुए हैं या तो वे क्षेत्रीय सीमा अथवा कार्यक्रम की सीमा में बंधे हुए हैं। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन बहुतायत में हुए हैं। एक समेकित अध्ययन का अभाव है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्ययन हुए हैं वे एस0एन0मिश्र0, ए0 वैद्यनाथन, पी0के0 वर्द्धन, ए0पी0 बर्नवाल आदि ने किये हैं। जहाँ तक बिहार के ऐसे अध्ययनों का प्रश्न है, ग्रामीण विकास से संबंधित लगभग सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन मिलते हैं। प्रतिष्ठित शोध संस्थानों द्वारा भी मूल्यांकन किये गये हैं। आई0आर0डी0पी0 का गहन मूल्यांकन अध्ययन अ0ना0 सामाजिक अध्ययन संस्थान द्वारा किये गए, जिनमें सच्चिदानन्द, के0के0 वर्मा, मनोहर लाल और राजेश्वर मिश्र आदि समाजशास्त्रियों का योगदान रहा। परन्तु ये समस्त अध्ययन इनके कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन मात्र है। प्रशासनिक या नौकरशाही के दृष्टिकोण को ये अध्ययन नजरअंदाज करते हैं। आवश्यकता है ग्रामीण विकास को समग्र स्वरूप में समझने की।

संदर्भ :

1. इम्तेयाज अहमद, गिल्मसेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, एनसियेन्ट काल, हिन्दुस्तान टाइम्स, पटना, दिसम्बर 9, 1987, पृ0 10
2. प्रो0 ब्रजकिशोर गुप्ता 'एनसियेन्ट हिस्ट्री ऑफ भागलपुर', इन्डियन नेशन, सितम्बर 1980, पृ0 5
3. इम्तेयाज अहमद, गिल्मसेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, एनसियेन्ट काल, हिन्दुस्तान टाइम्स, पटना, दिसम्बर 9.12. 1988

4. इम्तेयाज अहमद, उपरोक्त।
5. डॉ० बी० वीरोत्तम, झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2001, पृ० 11
6. हिन्दुस्तान, पटना, 12 नवम्बर, 2004, परिशिष्ट, पृ० 3
7. हिन्दुस्तान टाइम्स संवाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स, पटना, 13 सितम्बर, 2000
8. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एनुअल सर्वे ऑफ इन्डस्ट्रीज), योजना आयोग, भारत सरकार
9. सिद्धेश्वर प्रसाद एवं जगदीश प्रसाद, न्यू इकॉनामिक पॉलिसी : रिफॉर्म्स एण्ड डेवलपमेंट, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1993, पृ० 226
10. बिहार— एकजलक, 1991, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार, पटना, 1991
11. डी०पी० यादव, इक्कीसवीं सदी का बिहार : एक विश्लेषण, हिन्दुस्तान, जनवरी 1999